ई-मेल

Madhya Pradesh State
Agricultural Marketing Board
Kisan Bhawan, 26, Arera Hills, Jail Road,
Bhopal-462011
Office : 0755-2553429

मध्यप्रदेश राज्य
कृषि विपणन (मंडी) बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, जेल रोड,
भोपाल-462011
कार्यालय : 0755-2553429

Website : www.mpmandiboard.gov.in

क्रमांक/प्रांगण/न.मं./19/8/पार्ट-1/ब्यावरा/ 1926 भोपाल, दिनांक 28/04/2025

प्रति,

कलेक्टर,
जिला........................ (समस्त)
मध्यप्रदेश

विषय- कृषि उपज मंडी समितियों के मण्डी/उप मंडी प्रांगण की भूमि पर डायवर्सन शुल्क एवं अन्य उपकर की वसूली के संबंध में।

सन्दर्भ- आयुक्त मंडी/प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल का पत्र क्र. /मंडी/परि/बी-4/1/प्रां./5/3/1310 दिनांक 01/03/2002।

कृपया, विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्राह्य करें, जिसकी छायाप्रति सुलभ सदर्भ हेतु संलग्न है। संज्ञान में लाया गया है कि प्रदेश की कतिपय कृषि उपज मंडी समितियों के मण्डी/उप मंडी प्रांगण की भूमि पर सम्बंधित क्षेत्र के राजस्व अधिकारियों द्वारा डायवर्सन शुल्क वसूली के संबंध में नोटिस आदि प्रेषित किये गए हैं। जबकि मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 की धारा 9 (3) में स्पष्ट प्रावधान है कि -

"मध्यप्रदेश लैंड रेवेन्यू कोड, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) में और उसके अधीन बनाये गये नियमों में, जहाँ तक कि वे भूमि के व्यपवर्तन, कृषि से किसी अन्य प्रयोजन के लिये भूमि के उपयोग में परिवर्तन हो जाने के परिणाम स्वरूप भू-राजस्व के पुनरीक्षण तथा उससे अनुषंगिक अन्य विषयों से संबंधित है, अंतर्विष्ट कोई भी बात ऐसी भूमि को लागू नहीं होगी जो मण्डी समिति द्वारा उपधारा (1) के अधीन अर्जित की गई हो या जो अन्तरण द्वारा, क्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा अर्जित की गई हो और किसी मण्डी-प्रांगण या किसी उपमण्डी प्रांगण की स्थापना के प्रयोजन के लिये उपयोग में लाई गई हो:

परंतु मंडी-प्रांगण, उपमंडी प्रांगण के लिए या बोर्ड के प्रयोजन के लिए उपयोग में लाये गए परिसरों के संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि वे यथास्थिति

नगरपालिका निगम, नगरपालिका परिषद, अधिसूचित क्षेत्र, ग्राम पंचायत या विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकारी की सीमाओं में सम्मिलित है।"

इस प्रकार मंडी अधिनियम अंतर्गत प्रदेश की मण्डी समितियों की भूमि को डायवर्सन शुल्क, संपत्ति कर एवं अन्य उपकरों आदि से मुक्त रखा गया है।

उपरोक्त के अनुक्रम में आपके अधीनस्थ राजस्व कार्यालयों को सूचित करते हुए मण्डी समितियों की भूमि के संबंध में डायवर्सन शुल्क, संपत्ति कर एवं अन्य उपकरों आदि की वसूली सम्बन्धी कार्यवाही, यदि कोई हो तो, कृपया नस्तीबद्ध करने हेतु निर्देशित करें।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

(कुमार पुरूषोत्तम)
प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

क्रमांक/प्रांगण/न.मं./19/8/पार्ट-1/ब्यावरा / 1927 भोपाल, दिनांक 28/04/2025

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सहायक, प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, भोपाल।
2. निज सहायक, सचिव, म.प्र. शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल।
3. संभागायुक्त (राजस्व), संभाग....................(समस्त)।
4. निज सहायक, प्रबंध संचालक सह आयुक्त, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
5. संयुक्त संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय...... (समस्त)।
6. कार्यपालन यंत्री, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, तकनीकी संभाग.......... (समस्त)।
7. भारसाधक अधिकारी/सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति....................(समस्त)।

प्रबंध संचालक सह आयुक्त
म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल